

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00237

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन
प्राप्ति जैन
गवासी सिरौही रोड़ तहसील पिण्डवाड़ा
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिरौही

क्रिस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 39 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
10.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 05.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17.06.2019 को मोजा कालन्द्री में अतिक्रमण हटाकर कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही द्वारा बिना आदेश के करने की जांच करवाई जाकर प्रार्थी को सूचित करने हेतु से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 05.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17.06.2019 को मोजा कालन्द्री में अतिक्रमण हटाकर कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरौही द्वारा बिना आदेश के करने की जांच करवाई जाकर प्रार्थी को सूचित करने हेतु से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

284-85
13/8/20